प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 31/2026 (अपील सूचना का अधिकार)

Roop Shankar Pareek Add: Jadana, Rashmi, Chittorgarh, Raj.

...............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28/04/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329856373390198 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 1807802751 दिनांक 22.01.2026 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/31/26/123–24 दिनांक 22.01.2026 से लिखा गया। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर अथवा सूचना आदिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) जिला पूल उदयपुर द्वारा उपखण्ड कार्यालय गोगुन्दा को आवंटित राजकीय वाहनों की लॉग बुक तथा उक्त वाहनों में किए गए मरम्मत एवं ईंधन व्यय के बिलों का विवरण के संबंध में सूचना चाही गई है। राजकीय वाहनों की लॉग बुक, आवागमन विवरण से संबंधित सूचनाएँ संवेदनशील क्षेत्रों के दौरे, कानून व्यवस्था एवं विशिष्ट एवं अति विशिष्टि व्यक्तियों के दौरों से संबंधित होकर गोपनीय सूचनाएं है जो उनकी सुरक्षा से संबंधित हैं। इस प्रकार अधिनियम के उद्देश्य के मध्येनजर चाही गई सूचनाएं देय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा बिना किसी सार्थक उद्देश्य के सूचना की मांग करना लोक प्राधिकरण के सीमित संसाधनों के विपरीत है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना ना तो उनसे संबंधित है ना ही व्यापक लोक हित में है। इस प्रकार की सूचना का व्यापक प्रकटीकरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(a) एवं धारा 8(1)(e) के अंतर्गत अपवर्जित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर उदयपुर

RajKaj Ref No.: 21846217
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.04.28 13:13:38 IST
Reason: Approved

को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

RajKaj Ref No.:
21846217
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.04.28 13:13:38 IST
Reason: Approved